दिनांक 31.10.14 को गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अन्तर्गत सोलानी नदी, ग्राम कान्हापुर, लतीफपुर, मलकपुर रेत खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आहूत लोक सुनवाई का कार्यवृत

गढवाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अन्तर्गत सोलानी नदी, ग्राम कान्हापुर, लतीफपुर, मलकपुर रेत खनन परियोजना में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन लोकसुनवाई आयोजित किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 02.10.14 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में राजकीय प्रथमिक विद्यालय, रामपुर रूडकी में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा दिनांक 31.10.2014 लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0 लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से केवल रेत का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के ग्राम कान्हापुर, लतीफपुर, मलकपुर में सौलानी नदी पर स्थित है, एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अन्तर्गत नही है।
2. परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही हैं
3. प्रस्तवित खनन/चुगान सौलानी नदी में 16.390 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 2.4860 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोड़कर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूण्ल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
4. प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमुनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
5. परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढवाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात् मैन्यूअल तरीके से खनन किया जायेगा।
6. ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनो के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणों की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा।
7. कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेगें तथा परियोजना में पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 4.61 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जल समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री अब्दुल वहीद प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि खनन होना आवश्यक है। चूंकि नदी में खाली रेत ही है। उक्त कार्य होने से स्थानीय लोगो का रोजगार भी मिलेगा।
2. श्री मोहम्मद तासीम, रामपुर द्वारा बताया गया कि उक्त नदी में बाढ की समस्या से परेशानी होती है। अतः खनन खुलना आवश्यक है। इससे स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा।
3. श्री हनीस अहमद, कान्हापुर द्वारा कहा गया कि खनन खुलना आवश्यक है, व खनन की रायल्टी का मूल्य सही निर्धारित होना चाहिए।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा सौलानी नदी में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में है, वह अपने अपने –अपने हाथ उठाये। इस पर सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा खनन के विरोध में मतदान नही किया गया। पुनः यह उच्चारण किय गया कि जो व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते है वह अपना–अपना हाथ उठायें इस पर सुनवाई के समय सभा में उपस्थित समस्त जन समुदाय द्वारा हाथ उठाकर खनन का समर्थन किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवाही के अनुक्रम में वैज्ञानिक तरीके से सोलानी नदी से उपखनिज चुगान की सहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत को जन समुदाय को पढ के सुनाया गया तथा पूरी प्रकिया की विडियो रिकार्डिंग भी करायी गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

एम0डी0ढौडियाल समन्वयक, गंढवाल मंडल विकास निगम, हरद्विार	राकेश कन्डारी सहा0 पर्या0 अभियंता उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी	रवनीत चीमा अपर जिलाधिकारी (वित्त) जिला हरिद्वार

दिनांक 31.10.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अन्तर्गत सोलानी नदी रुडकी में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति।

क्रम स.	नाम	हस्ताक्षर
(1)	रवनीत चीमा उप जिलाधिकारी (वित्त) ई रहा[illegible]	[illegible]
2.	राकेश कबडवाल (क्षे0अधि0 सहायक VEPPCB. RO Roorkee)	R.[illegible]
3.	एम0सी0 बौड़ियाल, गढ़वाल मंडल विकास निगम	[illegible]
4.	अनुराग नेगी (अधिकारी VEPPCB, RO Roorkee)	[illegible]
5.	विवेक कुमार (Asst. manager - GR (India) P. Ltd)	[illegible]
6.	[illegible] (Asst. manager GR (India) P. Ltd)	[illegible]
7.	अब्दुल वहीद	वहीद
8.	[illegible]	[illegible]
9	इसरार रावत	[illegible]
10	कामिल	ममताल
11	यूनुस	[illegible]
12	मु0 [illegible]	[illegible]
13	आमिर [illegible]	[illegible]
14	[illegible]	अनीस
15	[illegible]	कुरबान
16	मो0 इ[illegible]	[illegible]
17	सत्येन्द्र [illegible]	[illegible]

क्रम स.	नाम	हस्ताक्षर
18	[illegible]	[illegible]
19	सुकपाल	सुकपाल
२०	शाहजाद	शाहजाद काहू
२१	~~शहजाद~~ नजीर	[illegible]
२२	शाहजाद	शाहजाद काहू
२३	इसरार	इसरार
२४	साहिम	साहिम
२५	दिलशाद	दिलशाद अली
२६ मो० इनाम	अनीस	अनीस अली
२७	[illegible]	[illegible]
२८	मो० आकिल	मो० आकिल
२९	गुलजार	गुलजार
30	मो० उस्मान	मो० उस्मान
31	मो० साजिद	मो० साजिद
32	मुरसलीन अली	मुरसलीन अली
33	समसाद	समसाद
34	[illegible]	[illegible]
35	नसीम	नसीम
36	हाकिम मो० अफजाल	हाकिम मो० अफजाल
37	मुतीन।	मुतीना

क्रम स.	नाम	हस्ताक्षर
38	शमीम	शमीम
39	अतीकुल	अतीकुल
40	[illegible]	[illegible]
41	अब्दुल वहीद	वहीद
42	कुरबान अली	कुरबान अली
43	Abdul Malik	[illegible]
44	BOBY	BOBY
45	मकसूद	मकसूद
46		